कल 14.05.2024 को पुरोला क्षेत्रान्तर्गत एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक द्वारा अपनी नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, उक्त मामले में पीडित पक्ष की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा थाना पुरोला पर आरोपी शिक्षक के विरुद्ध धारा 376 भादवि0 व 3/4 पोक्सों अधि० के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस प्रकार के जघन्य अपराध की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी, श्री अर्पण यदुवंशी द्वारा पुलिस अधिकारियों को अभियुक्त के त्वरित गिरफ्तारी कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये, थानाध्यक्ष पुरोला श्री मोहन कठैत के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा मामले मे त्वरित कार्यवाही करते हुये मात्र 12 घण्टे के अंदर आज शिक्षक राकेश (35 वर्ष) को पेट्रोल पम्प पुरोला से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, मामले में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही जारी है, पुलिस द्वारा उक्त मामले में निष्पक्ष व त्वरित कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा।

#UKPoliceStrikeOnCrime